भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1368
11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

किसान क्रेडिट कार्ड

+1368. श्री थरानिवेंशन एम. एस.:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की विशेषताएँ क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में निर्धारित किए गए लक्ष्य और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा और इसकी प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) देश में किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार उन गरीब मछुआरों को केसीसी प्रदान करने का विचार कर रही है, जो कोई भी संपार्श्विक गारंटी देने में असमर्थ हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): वर्ष 2018-19 में, भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04.02.2019 के परिपत्र के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की सुविधा का विस्तार पशुपालन और मत्स्यपालक किसानों तक उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किया । भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी 4 जुलाई, 2018 के मास्टर परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केसीसी की ऋण सीमा/ऋण राशि तय करता है । यह योजना पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित गतिविधियों जैसे कि पशु, पक्षी, मछली, झींगा, कैप्चर फिश, पोस्ट-हार्वेस्ट व्यय, उत्पाद विपणन ऋण, अन्य जलीय कृषि गतिविधि और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मात्स्यिकी और संबद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को कवर करती है।

I. ऋण सीमा

i. मात्स्यिकी और पशुपालन ऋण के लिए केसीसी के अंतर्गत ब्याज अनुदान / इंटरेस्ट सबवेनशन (आईएस) और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) का लाभ केवल 2 लाख तक सीमित है (फसल और संबद्ध गतिविधियों के संदर्भ में कृषि-किसानों के लिए, सब्सिडी वाला ऋण 3.00 लाख रुपए है)। 2025-26 के बजट में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत केसीसी ऋण सीमा को बढ़ाकर 5.00 लाख रुपए कर दिया गया है।

II. ब्याज अनुदान

i. वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को 1.5% इंटरेस्ट सबवेनशन देने के पश्चात, केसीसी ऋण 7% की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है ।
ii. केसीसी ऋणों पर शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान, इस प्रकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की "संशोधित ब्याज अनुदान योजना" के अंतर्गत पशुपालन और मत्स्य किसानों को 2.00 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए प्रभावी ब्याज दर को घटाकर 4% प्रति वर्ष कर दिया गया है।
iii. मात्स्यिकी के लिए केसीसी कोलेटरल मुक्त ऋण सीमा 01.01.2025 से 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपए कर दी गई है (आरबीआई परिपत्र दिनांक 06.12.2024)।

III. पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए वित्त का पैमाना

i. वित्त का पैमाना प्रति एकड़/प्रति इकाई/प्रति पशु/प्रति पक्षी आदि के आधार पर स्थानीय लागत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा तय किया जाएगा।

(ख): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पशुपालन और मात्स्यिकी के लिए केसीसी योजना के अंतर्गत खातों की संख्या के लिए स्वीकृत निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

योजना	2021-2022		2022-2023		2023-2024		31.12.2024 तक	
	खातों की संख्या	राशि (करोड)	खातों की संख्या	राशि (करोड़)	खातों की संख्या	राशि (करोड़)	खातों की संख्या	राशि (करोड़)
केसीसी-पशुपालन	123219	778.54	342901	2990.36	1079463	11083.6	943516	11101.88
केसीसी-मात्स्यिकी	8543	133.67	45669	414.1	93564	1296.02	83295	1198.79
कुल	13172	912.21	388570	3404.46	1173027	12379.62	1026811	12300.67

(ग): सभी पात्र मछुआरों, मत्स्य किसानों, पशुपालन और डेयरी किसानों को केसीसी सुविधा प्रदान करने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से समय-समय पर 'राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान' आयोजित कर रहा है और वर्तमान में यह अभियान 15 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक चल रहा है।

17.01.2025 तक तमिलनाडु में स्वीकृत केसीसी की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	केसीसी-पशुपालन एवं डेयरी	केसीसी-मात्स्यिकी
लक्ष्य	4,00,000	4,00,000
उपलब्धियां	16,12,124	2,47,205

(घ): मात्स्यिकी और पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

I. अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि:

i. मछुआरे, मत्स्य किसान (व्यक्तिगत और समूह/भागीदार/बटाईदार/पट्टेदार किसान), स्व सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह।

ii. लाभार्थियों के पास मात्स्यिकी संबंधित कोई भी परिसंपत्ति, जैसे तालाब, टैंक, खुले जल निकाय, रेसवे, हैचरी, रियरिंग यूनिट्स, नाव, जाल और अन्य मत्स्यन उपकरण का स्वामित्व या पट्टा होना चाहिए और फिश फ़ार्मिंग और फिशिंग से संबंधित गतिविधियों और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मात्स्यिकी और संबद्ध गतिविधियों के लिए संबंधित राज्यों में लागू आवश्यक प्राधिकरण/प्रमाणन प्राप्त होना चाहिए ।

II. समुद्री मात्स्यिकी:

लाभार्थी जो पंजीकृत फिशिंग वेस्सल /बोट के मालिक हैं या पट्टे पर हैं, उनके पास मुहाना और समुद्र मत्स्यन, मुहाना और खुले समुद्र में फिश फ़ार्मिंग/मैरीकल्चर गतिविधियों और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मात्स्यिकी और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक फिशिंग लाइसेंस/अनुमति हो ।

III. पोल्ट्री और छोटे जुगाली करने वाले (स्माल रूमिनेन्ट्स) :

किसान, पोल्ट्री किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्व सहायता समूह जिसमें भेड़/बकरी/सूअर/पोल्ट्री/पक्षी/खरगोश के पट्टेदार किसान शामिल हैं और जिनके पास स्वामित्व वाले/किराए पर/पट्टे पर शेड हो।

IV. डेयरी:

किसान और डेयरी किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिसमें पट्टेदार किसान शामिल हैं जिनके पास स्वामित्व वाले/किराए पर/पट्टे पर शेड हैं। पशुपालन के संदर्भ में, इसमें चारा, पशु चिकित्सा देखभाल और अन्य परिचालन लागतों से संबंधित व्यय शामिल है ।

(ड़:): दिनांक 06.12.2024 के मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी मछुआरे, मत्स्यपालक किसान और पशुपालक किसान, जो केसीसी सुविधा के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, बिना किसी कोलेटरल के 2.00 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

*****